



GM M & E <menrh@gmail.com>

SS Venchile Information Etawah

2 messages

DPMU Etawah <dpmuetawah@gmail.com>
To: Monitoring Evaluation <menrh@gmail.com>

Thu, May 17, 2018 at 10:26 AM

PFA

--
*District Programe Management Unit
National Health Mission
C/O CHIEF MEDICAL OFFICER OFFICE
Near - Numayas Pandal Etawah
District- Etawah- 206001.*

 **SS_Vehicle_Hiring_status__2016-17 (1).xls**
29K

DPMU Etawah <dpmuetawah@gmail.com>
To: Monitoring Evaluation <menrh@gmail.com>

Thu, May 17, 2018 at 10:39 AM

Agreement Copy
[Quoted text hidden]

 **Agrement SS.pdf**
1397K

Supportive Supervision vehicle Hiring District level information 2018-19

Sl.No.	Name of District	Name of Agreement Signing Officer	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle No-2	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Etawah	Dr. Anil Kumar Agrwal	UP 14 FT 7260	4/4/2018	DL 1YE 5628	4/4/2018	

CMO
Etawah

Supportive Supervision vehicle Hiring (Block wise) information 2018-19

S.No.	Name of division	Name of District	Block Name	Vehicle No	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Kanpur	Etawah	Badpura	UP 75 AT 5590	4/4/2018	
2			Jaswanthnagar	UP 75 AT 5605	4/4/2018	
3			Mahewa	UP 80 DT 3129	4/4/2018	
4			Basreher	UP 75 AT 3113	4/4/2018	
5			Takaha	UP 75 AT 1548	4/4/2018	
6			Bharthana	UP 75 AT 3730	4/4/2018	
7			Chakrnagar	UP 75 AT 1435	4/4/2018	
8			Saifai	UP 75 AT 5335	4/4/2018	

CMO
Etawah



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 870438

अनुबन्ध-पत्र

यह अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति, इटावा की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों में सपोर्टिव सुपरवीजिन कार्यक्रम हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति इटावा (प्रथम पक्ष) एवं मैस0 रॉयल टूर एण्ड ट्रेवल्स, पचावली रोड कोकपुरा शाला, इटावा (द्वितीय पक्ष) के बीच किया जा रहा है। अनुबन्ध की शर्तें निम्नप्रकार हैं—

1. यह अनुबन्ध आज दिनांक 05.04.2018 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31.03.2020 की मध्य रात्रि तक अथवा नई निविदा होने तक के लिये किया जा रहा है।
2. द्वितीय पक्ष ने इस हेतु जमानत धनराशि रु0 80000/- जिला स्वास्थ्य समिति, इटावा के पक्ष में प्लेज कराते हुये जमा की है द्वितीय पक्षकार द्वारा इस अनुबन्ध की शर्तों को पूरा न करने पर या उल्लंघन करने पर अनुबन्ध/निविदा रद्द करने निरस्त करने की स्थिति में यह जमानत धनराशि जब्त कर शासन के खाते में जमा कर दी जायेगी।
3. द्वितीय पक्षकार को किसी भी धनराशि पर कार्यालय/शासन द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।
4. आयकर एवं अन्य समस्त कर वैधानिक देयताओं की कटौती नियमानुसार सफल निविदादाता द्वितीय पक्ष के बिल से की जायेगी।
5. द्वितीय पक्षकार को कोई भी भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा।
6. इस अनुबन्ध के परिपालन में द्वितीय पक्षकार को मतभेद/विवाद होने पर उसके निस्तारण हेतु द्वितीय पक्षकार मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा को लिखित में सूचित करेंगे।
7. द्वितीय पक्ष को शासन द्वारा निर्धारित समस्त करों का भुगतान करना होगा, जिला स्वास्थ्य समिति, इटावा द्वारा किसी भी कर आदि का वहन नहीं किया जायेगा।
8. निविदा 31 मार्च 2020 तक अथवा वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर समान शर्तों एवं नियमों पर दोनों पक्षों की सहमति पर अगली निविदा होने तक के लिए मान्य होगी।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सभी वाहन आर0टी0ओ0 द्वारा अधिकृत टैक्सी परिमित वाहन ही प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये जायेगे।

(Signature)

(Signature)

10. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहनों के ड्राइवर के पास ट्रान्सपोर्ट ड्राइविंग लाइसेन्स होना आवश्यक है।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त वाहनों का पंजीकरण 2014 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहन जी0पी0आर0एस0 युक्त होना आवश्यक है तथा सभी वाहनों की जी0पी0आर0एस0 डाटा की इनवाइस प्रत्येक माह बिल के साथ प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहनों में सपोर्टिव सुपरवीजिन का लोगो लगाना अनिवार्य होगा।
14. द्वितीय पक्ष द्वारा सपोर्टिव सुपरवीजिन के अन्तर्गत कम से कम 25 दिन/प्रति माह/प्रति टीम (रविवार एवं पब्लिक हॉलीडे छोड़कर) वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा यदि वाहन अपरिहार्य कारणों वश सपोर्टिव सुपरवीजिन टीम के साथ नहीं जा पाती है तो वाहन को उस दिन अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी उपयोग किया जा सकता है।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये वाहनों की संख्या आवश्यकतानुसार राज्य स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार घट बढ़ सकती है।
16. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से किये गये दर अनुबन्ध को पूर्ण रूप से या कुछ भाग को समाप्त करने का अधिकार रखता है और दर अनुबन्ध को पुनः संशोधित किया जा सकता है यदि क. फर्म/एजेन्सी लिक्विडेशन हो जाती है या बैंककृप्त हो जाती है।
ख. एजेन्सी समय पर वाहन उपलब्ध कराने में असफल होती है।
17. द्वितीय पक्ष को वाहनों का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा एवं बिल प्रस्तुत करते समय जी0पी0आर0एस0 डाटा इनवाइस एवं लॉगबुक की सम्बन्धित भ्रमण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
18. प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये शेड्यूल एवं समय का कड़ाई से पालन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।
शेड्यूल व समय का पालन द्वितीय पक्ष द्वारा न करने पर अथवा क्रियान्वयन देरी करने पर प्रथम पक्ष निम्न अधिकार रखता है—
क. समय से वाहन उपलब्ध न होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष (एजेन्सी) की लागत व जोखिम पर टैक्सी किराये पर ले ली जायेगी एवं ₹0 1000 प्रति दिन की दर से बतौर दण्ड के रूप में द्वितीय पक्ष के बिल से कटौती कर ली जायेगी।
ख. दर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं सिव्योरिटी/जमानत की धनराशि जब्त करने का अधिकार होगा।
19. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को एक माह का नोटिस देने के उपरान्त किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु किये गये अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार होगा अथवा किये गये अनुबन्ध में परिवर्तन का अधिकार होगा।
20. द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार के सभी क्लेमस की क्षति पूर्ति, मांग, लागत, खर्च, ईनाम, मुआवजा इत्यादि हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। *
21. यदि दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद होता है और 30 दिन के अन्दर विवाद सुलझता नहीं है उस स्थिति में दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष आर्बिट्रेशन एवं कन्सोलियेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत दो सप्ताह के अन्दर आर्बिट्रेशन के लिए सन्दर्भित कर सकता है। विवादित मामलों में न्यायक्षेत्र इटावा तक सीमित रहेगा और सम्बन्धित सम्भाग का आयुक्त आर्बिट्रेटर होगा।
22. द्वितीय पक्ष द्वारा किराये पर उपलब्ध कराये गये वाहन को दिन में कम से कम 08 घण्टे उपलब्ध कराना होगा।
23. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन को प्रत्येक दिन गैराज से गैराज के मध्य (अधिकतम 20 कि0मी0) की छूट अनुमन्य रहेगी।

Alak Singh

8/2

24. द्वितीय पक्ष द्वारा सपोर्टिव सुपरवीजिन में उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन हेतु माह में कम से कम 1500 कि०मी० चलाना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में अनुपातिक रूप से भुगतान काट लिया जायेगा।
25. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन जनपद से बाहर भ्रमण हेतु प्रशासनिक कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपयोग किये जा सकते हैं।
26. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन की लॉग बुक में समय का विस्तृत विवरण, माइलेज और सम्बन्धित सपोर्टिव सुपरवीजिन टीम अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
27. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन में सफेद शीट कवर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
28. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनो के शीट कवर नियमिति तौर पर साफ रहना चाहिए और नियमित रूप से परिवर्तित होते रहना चाहिए।
29. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त वाहनो के रीडिंग मीटर नियमित तौर पर क्रियाशील रहना चाहिए एवं वाहनो की लॉगबुक का सम्बन्धित ड्राइवर द्वारा रख-रखाव करना होगा।
30. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त वाहन के ड्राइवर और वाहन बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं किये जायेगे।
31. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनो के ड्राइवर प्रॉपर यूनीफार्म में रहना आवश्यक होगा जोकि द्वितीय पक्ष द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी।
32. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी वाहन को रिपेयर के कारण या किसी दुर्घटना के कारण वाहन उपलब्ध नहीं करा पाता है तब द्वितीय पक्ष द्वारा वैकल्पिक स्तर पर तुरन्त वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में 1000 रु० प्रति दिन के आधार पर दण्ड स्वरूप बिल से कटौती प्रथम पक्ष द्वारा कर ली जावेगी एवं प्रथम पक्ष द्वारा दूसरा वाहन किराये पर द्वितीय पक्ष (एजेन्सी) की लागत से ही इस परिस्थिति में ले लिया जायेगा।
33. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक वाहन में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा सपोर्टिव सुपरवीजिन टीम के किसी सदस्य से किसी प्रकार की धनराशि के लिए नहीं कहा जायेगा।
34. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध करने से पूर्व सभी वाहनो को निरीक्षण करने हेतु उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
35. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन के ड्राइवर का मोबाइल न० उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
36. प्रथम पक्ष अधिकार रखता है कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध अवधि के दौरान निविदा में उपलब्ध कराये गये वाहनो का मांग किए गये कुल वाहनो का 25 प्रतिशत वाहन आवश्यकतानुसार कम या अधिक भी कर सकता है।
37. निविदा अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किराये पर दिये गये वाहनो की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रत्येक वाहन की उपलब्ध कराई गयी दर में केन्द्रीय व राज्य जी०एस०टी० शामिल होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा दिए गये प्रति वाहन की दरों में ईंधन की लागत, ड्राइवर की लागत, वाहन का रख-रखाव और किसी भी प्रकार की अन्य लागत (मेटेरियल, लेबर कॉस्ट, परिवहन लागत, करों में परिवर्तन) शामिल होगा। उक्त अनुमोदित दरों के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
38. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को सपोर्टिव सुपरवीजिन के अन्तर्गत निविदा में आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी निम्न दरों पर वाहन उपलब्ध कराने होंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये समस्त वाहन निविदा अनुसार सेडान/हैच बैक अथवा इससे उच्चतम स्तर के मॉडल (मारुति ओमनी वैन अनुमन्य नहीं) वाहन ही अनुमन्य होंगे।

Alex Singh

9/12

क्र०सं०	वाहन विवरण	कुल वाहन संख्या	दर विद टैक्स प्रति वाहन प्रति माह
1.	Monthly Taxies- Monthly rental (8hr min daily full month min 1500km) Supportive supervision Programme	10	32500.00
2.	Monthly Taxies-Monthly rental (8hr Min daily full month min 1000km) NMHP Programme	1	21600.00
3.	Monthly Taxies-Monthly rental (8hr Min daily full month min 1000km) NTCP Programme	1	21600.00
4.	Monthly Taxies-Monthly rental (8hr Min daily full month min 1000km) NPCDCS Programme	1	21600.00
5.	Monthly Taxies-Monthly rental (8hr Min daily full month min 1000km) DPMU Programme	1	21600.00
6.	Daily basis Taxies- 80KM(8hr Min daily) additional cost towards extra mileage or duration would be on pro-data basis of Rs. 10 per every additional km and Rs. 40 for every extra hr RNTCP Programme (on the basis daily basis)	1	1050.00
7.	Daily Basis Taxies- (8hr Min daily) Quality Assurance Programme (on the basis daily basis)	1	1450.00
8.	Daily Basis Taxies- (8hr Min daily) IDSP Programme (on the basis daily basis)	1	1300.00

39. द्वितीय पक्ष द्वारा जो दरें निविदा के दौरान दी गई है वह निविदा अवार्ड जारी होने की तिथि से कम से कम दो वर्ष के लिए लागू होगी और यह द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकार होगी।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सदस्य सचिव/जिला स्वास्थ्य समिति, इटावा

रॉयल टूर एण्ड ट्रैवल्स
पचावली रोड, इटावा

साक्षी

साक्षी

हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता- शे.सिंह/5/6 ग्रेडेशन
मु. पटेल दरवाजा, अरुआ

हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता- रवि कुमार मुखी राज-
बहादुर स्ट्रीट
शा.ली कालेनी इलाका